बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 26 पटना, दिनांक 24-10-17

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(विशेष अभियान)-102-57/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवासों को विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्र संख्या-276296 दिनांक-24.06.16, पत्रांक-295909 दिनांक-29.12.16, पत्रांक-296001 दिनांक-30.12.16, पत्रांक-300496 दिनांक-15.02.17 एवं विभागीय पत्रांक-302302 दिनांक-01.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का लक्ष्य कुल 6.37 लाख पूर्व में निर्धारित किया गया है एवं उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से उक्त लक्ष्य को पूर्ण करने एवं संदर्भित कार्रवाई करने हेतु समय-समय पर निदेशित किया जाता रहा है । अब तक आवासों की पूर्णता में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाने के कारण विभाग स्तर से मार्च 2018 तक न्यूनत्तम 4 (चार) लाख आवासों की पूर्णता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए निम्न कार्य योजना के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) **लक्ष्य के अनुरूप प्रखण्ड स्तर से लाभुकों का शत् प्रतिशत स्वीकृति दिनांक 31.10.2017 तक-**

विभाग द्वारा जिलों के निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए शत प्रतिशत लाभुकों को 31.10.2017 तक आवास की स्वीकृति दी जायेगी । इसकी जिम्मेदारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से कार्यपालक सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं ग्रामीण आवास सहायक को सौंपी जायेगी । प्रखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर इसकी साप्ताहिक समीक्षा निरंतर रूप से की जायेगी । निर्धारित तिथि तक शत् प्रतिशत आवासों की स्वीकृति यदि किसी प्रखण्ड में नहीं दी जाती है तो उक्त प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछ कर मंतव्य के साथ प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2017 तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(2) **स्वीकृत लाभुकों की प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान दिनांक 30.11.2017 तक -**

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृत सभी लाभुकों को दिनांक 30.11.2017 तक प्रथम किस्त की सहायता राशि का शत प्रतिशत भुगतान किया जायेगा । सहायता राशि के भुगतान हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर साप्ताहिक अनुश्रवण किया जायेगा । इसकी जिम्मेदारी प्रखण्ड स्तर पर लेखा सहायक/First Signatory एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/2nd Signatory की होगी । निर्धारित तिथि तक शत् प्रतिशत लाभुकों के खाते में सहायता राशि के अंतरण में विफल रहने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पूछ कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन दिनांक 08.12.2017 तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।

जिन लाभुकों को दिनांक 31.10.2017 तक प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है उनमें कम-से-कम 50 प्रतिशत लाभुकों को 30.11.2017 तक द्वितीय किस्त का भुगतान करने हेतु ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा लाभुकों को निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(3) <u>प्रथम किस्त लाभ प्राप्त लाभुकों को दिनांक 31.12.2017 तक द्वितीय किस्त का भुगतान-</u>

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम किस्त का भुगतान प्राप्त एवं निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कराने वाले सभी लाभुकों को दिनांक 31.12.2017 तक द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया जायेगा । जिन लाभुकों द्वारा सहायता राशि प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित स्तर तक आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उन्हें निर्धारित तिथि तक दिनांक 31.12.2017 तक ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से उजला नोटिस हस्तगत कराया जायेगा । ग्रामीण आवास सहायक द्वारा निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य की पूर्णता प्रतिवेदित करने की तिथि से 3 (तीन) दिनों के अंदर इसे आवास सॉफ्ट पर कार्यपालक सहायक के द्वारा अपलोड किया जायेगा तथा आवास सहायक के प्रतिवेदन देने के एक सप्ताह के अंदर FTO Generate किया जाय । प्रतिवेदन की वस्तुस्थिति से अवगत होने के लिए सभी स्तर पर अलग-अलग पंजी का निर्धारण किया जायेगा तथा नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं शनिवार को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संधारित पंजी की जाँच की जायेगी तथा आवासों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा ।

FTO Generate करने के लिए बैंक का खाता नंबर एवं IFSC Code लेखा सहायक/ First Signatory के द्वारा जाँच कर आश्वस्त हो लिया जायेगा ताकि गलत भुगतान नहीं हो । इसके लिए लाभुक से बैंक विवरणी (पासबुक के प्रथम पृष्ठ) की छाया प्रति ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से प्राप्त की जायेगी । जनधन खाता रहने की स्थिति में कंडिका-9 में दिये गये निदेश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी ।

(4) <u>दिनांक 31.01.2018 तक शत् प्रतिशत लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान एवं तृतीय किस्त का भुगतान -</u>

योजनान्तर्गत आवास स्वीकृत लाभुकों में से प्रथम किस्त का लाभ प्राप्त एवं निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण करने वाले शत प्रतिशत लाभुकों को दिनांक 31.01.2018 तक द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया जाय । जिन्हें द्वितीय किस्त का पूर्व में भुगतान हुआ है उन्हें निर्धारित स्तर तक निर्माण पूरा करने की स्थिति में तृतीय किस्त का भुगतान दिनांक 31.01.2018 तक निश्चित रूप से कर लिया जायेगा ।

(5) <u>नोटिस निर्गत किया जाना-</u>

लाभुक जो राशि प्राप्त करने के पश्चात प्रथम 30 दिनों तक निर्धारित स्तर तक आवास का निर्माण नहीं करते हैं उन्हें उजला नोटिस निर्गत किया जायेगा । 60 दिनों तक आवास निर्माण निर्धारित स्तर तक नहीं करने वाले लाभुकों को लाल नोटिस एवं 90 दिनों तक आवास निर्माण निर्धारित स्तर तक पूरा नहीं करने वाले लाभुकों के विरूद्ध नीलाम-पत्र वाद दायर किया जायेगा ।

(6) <u>आवास की पूर्णता दिनांक 28.02.2018 तक</u>

प्रथम किस्त का लाभ पाये कुल लाभुकों में से कुल लक्ष्य का न्यूनतम 70 प्रतिशत लाभुकों का आवास दिनांक 28.02.2018 तक हर हाल में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा इसकी निरंतर अनुश्रवण किया जायेगा । उक्त लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कंडिका-2 में वर्णित प्रक्रियानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

(7) (i) वैसे लाभार्थी जिनके आवास स्वीकृत कर प्रथम किस्त की राशि अंतरित की जा चुकी है, उनका भूमि-पूजन समारोह आयोजित किया जायेगा जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्य लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा ।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वैसे सभी लाभार्थी जिनके द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया है उनका गृह प्रवेश समारोहपूर्वक संपन्न किया जायेगा जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्य लाभार्थियों को आमंत्रित किया जायेगा ।

(8) <u>प्रतीक्षा सूची का दीवार लेखन</u> :- भारत सरकार से प्राप्त प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सूची को जाँच कर पंचायतवार प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली गयी है । प्राय: लाभुकों को प्रतीक्षा सूची में क्रम की जानकारी नहीं रहने के कारण भ्रम की स्थिति से बिचौलिये इसका फायदा उठाते हैं । अत: पंचायतवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची का संबंधित पंचायत के अंतर्गत किसी सार्वजनिक स्थान पर दीवार लेखन किया जाना आवश्यक है । इसकी जिम्मेवारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की होगी ।

(9) <u>बैंक खाता</u> :- प्राय: विभाग में लाभुकों के बैंक पासबुक को बिचौलियों द्वारा जब्त किये जाने तथा भुगतान में राशि की वसूली संबंधी शिकायत पत्र प्राप्त होते हैं । इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि लाभुक का बैंक पासबुक किसी भी स्थिति में जब्त नहीं किया जाय बल्कि लाभुक के बैंक खाता से संबंधित जानकारी हेतु सिर्फ बैंक खाता की विवरणी (बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ) की छाया प्रति ही लिया जाय । बैंक पासबुक के जब्त करने की घटना प्रकाश में आने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज करायेंगे । बैंक द्वारा योजना की राशि का भुगतान लाभुकों को ससमय किये जाने हेतु संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधकों को अपने स्तर से अनुरोध करेंगे ।

विदित है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक-308574 दिनांक-25.04.17 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जन-धन योजना के तहत खुले बैंक खाता को सामान्य बैंक खाता में परिवर्तित कराकर उसमें योजना की राशि हस्तांतरित करने हेतु निदेश दिये गये हैं किन्तु इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण योजनान्तर्गत राशि के अंतरण (FTO Generate) से लेकर राशि की निकासी में समस्या उत्पन्न हो रही है । इस समस्या के समाधान हेतु उपर्युक्त वर्णित पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधकों को सहयोग करने हेतु अनुरोध करेंगे । साथ ही उपर्युक्त महत्वपूर्ण विषय पर प्रखण्ड स्तरीय बैंकर्स कमिटी में एवं जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटी में विशेष रूप से बैंकों के साथ चर्चा कर इसका समाधान किया जायेगा ।

(10) विभागीय पत्रांक-165209 दिनांक 3.10.13 द्वारा ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों एवं ग्रामीण आवास सहायकों के संविदा विस्तार हेतु कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के लिए किये प्रावधानों का कड़ाई के साथ कार्यान्वयन किया जायेगा तथा चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों को पूर्ण कराने में उनके प्रयासों पर विशेष रूप से मंतव्य अंकित किया जायेगा । इससे उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जायेगा ।

अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार आवासों की पूर्णता सुनिश्चित कराने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

23/10/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 26 पटना, दिनांक 24-10-17

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/10/2017

सरकार के सचिव